न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/113/2024 ऑनलाईन नम्बर 2024/386 प्रवेश तिथि–01.10.2024

1. दयाल चन्द पुत्र छुट्टनलाल आयु करीब 59 वर्ष।
2. शान्ती देवी पुत्री छुट्टनलाल आयु करीब 72 वर्ष।
3. कमला पुत्री छुट्टनलाल आयु करीब 65 वर्ष।
4. छोटा देवी पुत्री छुट्टनलाल आयु करीब 75 वर्ष समस्त जातियान खटीक निवासीयान ग्राम नारायणपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर

................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री किशनलाल वर्मा एड0 प्रार्थीगण
2. तहसीलदार राजगढ

–:निर्णय:– दिनांक –26.09.2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 10 आराजी खसरा नम्बर 618/0.56, 619/0.47 वाके ग्राम नारायणपुर तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित हैं। जिसमें प्रार्थीगण **दयालचन्द पुत्र छुट्टन, शान्ती पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छुट्टन** के स्थान पर क्रमशः **रामदयाल पुत्र छुट्टन, मन्नी पुत्री छुट्टन, कमली पुत्री छुट्टन, छोटी देवी पुत्री छुट्टन** दर्ज कर दिया। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। जबकि प्रार्थीगण के नाम अन्य रिकार्ड में **दयालचन्द पुत्र छुट्टन, शान्ती पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छुट्टन** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण राही नाम **दयालचन्द पुत्र छुट्टन, शान्ती पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छुट्टन** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1749 दिनांक 10.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि **दयालचन्द पुत्र छुट्टन, शान्ती पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छुट्टन** के स्थान पर क्रमशः **रामदयाल पुत्र छुट्टन, मन्नी पुत्री छुट्टन, कमली पुत्री छुट्टन, छोटी देवी पुत्री छुट्टन** एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम **दयालचन्द पुत्र छुट्टन, शान्ती पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छुट्टन** होना बताया गया। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण का नाम **दयालचन्द पुत्र छुट्टन, शान्ती पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छुट्टन** जगह सहवन से **रामदयाल पुत्र छुट्टन, मन्नी पुत्री छुट्टन, कमली पुत्री छुट्टन, छोटी देवी पुत्री छुट्टन** दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थीगण दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।..

3. बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की संख्या 10 आराजी खसरा नम्बर 618/0.56, 619/0.47 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला–अलवर

नारायणपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का नाम दयालचन्द पुत्र **छुट्टन, शान्ती पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छूट्टन** के स्थान पर क्रमशः रामदयाल पुत्र **छुट्टन, मन्नी पुत्री छुट्टन, कमली पुत्री छुट्टन, छोटी देवी पुत्री छुट्टन** दर्ज कर दिया है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण दयालचन्द पुत्र **छुट्टन, शान्ती पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छूट्टन** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 16.09.2025, व प्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ़ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः–

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी **खाता संख्या 10 आराजी खसरा नम्बर 618/0.56, 619/0.47 वाके ग्राम नारायणपुर तहसील राजगढ़** *जिला अलवर में* **रामदयाल पुत्र छुट्टन, मन्नी पुत्री छुट्टन, कमली पुत्री छुट्टन, छोटी देवी पुत्री छुट्टन** *दर्ज है। उसके स्थान पर क्रमशः* **दयाल चन्द पुत्र छुट्टन, शान्ती देवी उर्फ मन्नी पुत्री छुट्टन, कमला पुत्री छुट्टन, छोटा पुत्री छूट्टन** *दुरूस्त किया जावे। तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।*

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर